

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
कर्मयोगी भवन, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2, सी विंग,
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010



पंजीकृत पावती उल्लंघन पत्र
Government of India
Ministry of Mines
Bureau of Mines
Office of Regional Controller of Mines
Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, C Wing, Sec 10A
Gandhinagar, Gujarat-382010

Tel- 079 29750358 /29750359; ई-मेल/ E-mail: ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावली संख्या: गुज/गिर/चू.प.- 02 Mine code 38GUJ08345 ID दिनांक: 06.11.2023

सेवा में : M/S Gujarat Sidhee Cement Limited
Veraval Kodinar Highway
At: Sidheegram, P.O: Prashnavada
Via Sutrapada- 362 275, Dist: Gir Somnath (Gujarat)
e mail – rajeevranjan@mehtagroup.com

विषय: गुजरात राज्य के जिले- गिर सोमनाथ की तालुका- सूत्रापडा में स्थित आपकी मोरासा-वावडी चूनापत्थर खान, क्षेत्रफल- 93.1407 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का स्टार रेटिंग निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 07.08.2023 को श्री हेम चंद्र श्रीवास्तव, भू वैज्ञानिक की उपस्थिति में किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया-


नियम सं.	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	इस कार्यालय के पत्र संख्या 684(4)(1)/MP-254/2019-20MDRD(N)GNR दिनांक 27.11.2019 के द्वारा अनुमोदित खनन योजना के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य किया जा रहा है- (१) अनुमोदित खनन योजना की Table संख्या 63 के अनुसार वर्ष 2022-23 में खान के पर्यावरण सुधार हेतु लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए 1153 मी. Fencing लगाई जानी थी, लेकिन निरीक्षण के समय पाया गया कि निर्धारित Fencing नहीं लगाई गयी है।
34A(1) read with rule 34A(5)	The Submitted output/details of the drone survey were not found as per the SOP issued by under rule 34A (5). (I) The GCP_PCS.shp is not in a proper file format as a message is popped up as “.shp is not a valid or recognised data source”. (II) Proper nomenclature of all mining features has not been done in “map of mining lease area.shp file:

०२ इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

I/19745/2023

०३. खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम संख्या 11(1) तथा अन्य नियमों की पालना नहीं होने से व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करने पर नियम 11(2) के अंतर्गत खनन क्रियाएं स्थगित (निलंबित) की जा सकती हैं अथवा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जा सकती है।
०४. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अति शीघ्र सुधार कर इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से ४५ (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।
०५. यह उल्लंघन पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय



(मनीष गुप्ता)

सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो

- प्रतिलिपि - १. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
२. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, पुराना सचिवालय, ब्लॉक न.- 15, डा जीवराज मेहता भवन, सैक्टर- 10, गांधीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
३. रक्षित पत्रावली।

सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो